



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Phone : 0135-2665366(O)

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३८३

दिनांक 13 अप्रैल, 2023

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों, चिकित्साधिकारी (यूनानी), चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) तथा प्रबन्धक स्टेट फार्मसी के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थी, जिनके द्वारा वांछित अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, के प्रत्यावेदनों की निस्तारण सूची

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/१२३, दिनांक ११ मार्च, २०२२ के माध्यम से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद), चिकित्साधिकारी (यूनानी), चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) तथा प्रबन्धक स्टेट फार्मसी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापित जारी की गई थी, जिसके अनुक्रम में पाठ्यक्रम के अनुसार चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) पद हेतु दिनांक २९ मई, २०२२ (रविवार) को प्रातः ११:०० बजे से अपरान्ह ०१:०० बजे तक प्रदेश के देहरादून तथा हल्द्वानी शहर में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) की प्रारम्भिक परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा कट-ऑफ की विस्तृत सूची पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/६४३, दिनांक २२ जुलाई, २०२२ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की गई थी।

०२- बोर्ड के पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५, दिनांक ३१ मार्च, २०२३ द्वारा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों, चिकित्साधिकारी (यूनानी), चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) एवं प्रबन्धक स्टेट फार्मसी के आवेदन पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अर्हता पूर्ण न होने के कारण अनन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया था। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक ०९ अप्रैल, २०२३ तक बोर्ड कार्यालय में ई-मेल आई०डी० ukmssbexam@gmail.com पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

०३- उक्त के क्रम में कुल ९३ अभ्यर्थियों (९२ प्रत्यावेदन चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) एवं ०१ प्रत्यावेदन प्रबन्धक स्टेट फार्मसी) द्वारा मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये। अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है। शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के विज्ञापन तथा सेवानियमावली में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित न करने के कारण/अन्य कारणों से/प्रत्यावेदन न देने के कारण बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। ऐसे अनर्ह/साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किये जा रहे अभ्यर्थियों की पदवार सूची संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित किये गये अर्ह अभ्यर्थियों को मेल के माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक:-

१. चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड-१०१ हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण
२. चिकित्साधिकारी (यूनानी) पदकोड- १०२ हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण
३. चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) पदकोड- १०३ हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण।
४. प्रबन्धक स्टेट फार्मसी पदकोड- १०४ हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण।

ह०/-
(गरिमा राँकली),
सचिव

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
1.	8001003677	Mr. DIGVIJAY SINGH	VIRENDRA SINGH PARMAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 09.02.2023 को पंजीकृत हुआ है, जबकि अभ्यर्थी विज्ञापन के नियम 06 "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 04-12-2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2.	8001001501	Mrs. KHUSHBOO PANDEY	SUSHIL KUMAR PANDEY	आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3.	8001001037	Mr. AKASH DUHOON	DESHPAL SINGH DUHOON	आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
4.	8001001243	Mr. VIVEK KHETWAL	RAGHUNATH SINGH KHETWAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
5.	8001002896	Ms. KANIKA NAINWAL	KN NAINWAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
6.	8001000644	Mr. ARVIND KUMAR YADAV	PRATAP SINGH YADAV	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, जो कि अनिवार्य है, संलग्न नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
7.	8001003710	Ms. SHIKHA GUPTA	NARENDRA KUMAR GUPTA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्रमें दिनांक 13.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06 "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 13.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
8.	8001000735	Ms. SAKSHI FULARA	PRAKASH CHANDRA FULARA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्रमें दिनांक 16.01.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06 "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 03-12-2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
9.	8001003680	Ms. NITISHA KHALJHUNI A	ISWAR SINGH KHALJHUNIA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
10.	8001003747	Ms. PRAGATI BISHT	MOHAN SINGH BISHT	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
11.	8001003360	Ms. VIDUSHI RAO	JITENDRA PRATAP SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
12.	8001001043	Mr. RAVINDRA SINGH BAGHEL	VIRENDRA SINGH BAGHEL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र तथा विज्ञापन की शर्त के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
13.	8001003414	Mr. ABHISHEK	SATYA PAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 13.03.2023 को पंजीकृत हुआ है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 22.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
14.	8001001995	Ms. POOJA MEHRA	RAJ KUMAR	आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। काउंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन हरियाणा, पंचकुला में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
15.	8001002097	Mr. ARCHIT KUMAR	PAWAN KUMAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र एवं अनिवार्य रूप से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
16.	8001003318	Mrs. PRANA SINGH	DESHPAL SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र तथा अनिवार्य रूप से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
17.	8001003794	Ms. MANSI TEWARI	GIRISH CHANDRA TEWARI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
18.	8001001860	Mrs. MANISHA KUMARI	BHIM SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र तथा विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। काउंसिल ऑफ इन्डियन मेडिसिन हरियाणा, पंचकुला में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
19.	8001002904	Mrs. JYOTI DEVI	SURENDRA SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी अंकतालिका तथा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
20.	8001003389	Ms. LAVIKA BHATT	DINESH BHATT	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
21.	8001002737	Mr. RAJEEV YADAV	MAHESH SINGH YADAV	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 समस्त अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र तथा विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकरण का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
22.	8001003288	Ms. TANPATHA K SNEHA SUNIL	SUNIL TANPATHAK	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
23.	8001003571	Ms. AKANSHA NEGI	SANJAY KUMAR NEGI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 19.01.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 11.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
24.	8001003865	Ms. KEHKASHA ANSARI	MOHD SHARIF ANSARI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
25.	8001003789	Ms. ANJALI BISHT	MEHARBAN SINGH BISHT	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 20.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 13.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
26.	8001000988	Ms. HARSHITA BONAL	AMAR SINGH BONAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 14.12.2022 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 06.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
27.	8001000828	Ms. VINITA VERMA	GIRDHARI LAL VERMA	आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन राजस्थान में पंजीकरण का उल्लेख तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
28.	8001003994	Mr. MAMRAJ	CHANDAR SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 13.03.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 15.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
29.	8001003342	Ms. AKANKSHA JOSHI	RAJENDRA PRASAD JOSHI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
30.	8001003397	Ms. ANJALI JOSHI	SURESH CHANDRA JOSHI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
31.	8001003856	Mr. SHUBHAM RAJPUT	JAI PRAKASH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
32.	8001000305	Mr. VINOD SINGH KUNWAR	BAHADUR SINGH KUNWAR	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02 (OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 10.06.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद की है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
33.	8001003988	Mr. MOHIT KUMAR	PREETAM SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
34.	8001002576	Ms. SHIVANI	RAJESH KUMAR SAINI	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 21.08.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद की है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
35.	8001003126	Mr. MANOJ KAFALTIYA	MR R D KAFALTIYA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
36.	8001000509	Ms. PALLAVI JOSHI	P M JOSHI	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02 (OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 06.08.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद की है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
37.	8001003979	Mrs. SHALINI SINGH	NANHEY SINGH	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02 (OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है तथा अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
38.	8001003806	Ms. NIRMALA MEHTA	DIWAN SINGH MEHTA	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है तथा आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 06.04.2023 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद की है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 20.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 06.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
39.	8001003011	Mr. RAHUL VERMA	BASANT LAL VERMA	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 22.08.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद की है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
40.	8001003764	Mrs. NIDHI NIMESHWARI	LAXMI NARAYAN	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2018 तक वैध है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक वैध नहीं है। अतः भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन करने की तिथि से पूर्व समाप्त होने के कारण पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
41.	8001002842	Mrs. ASHIYA	KARAM VEER KHAN	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
42.	8001003735	Ms. SONALI	JASWANT SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 05.11.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद की है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 01.04.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 07.02.2023 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
43.	8001003468	Ms. SURABHI SINGH	BALRAM PRASAD	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
44.	8001001485	Mrs. PRERNA ARYA	SUNIL KUMAR	आवेदन पत्र के साथ दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 05.04.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
45.	8001003290	Ms. ALKA DEEP	VIMAL KUMAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 20.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 13.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
46.	8001000113	Mrs. PREETI BISHT	PRAMOD SINGH BISHT	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार समाप्त हो गई है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
47.	8001003264	Ms. RIMPY SAINI	AMAR SINGH SAINI	आवेदन पत्र के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
48.	8001002124	Mrs. MOHINI GAUR	MR DHANIRAM GAUR	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता, अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 की व्यवस्थानुसार, समाप्त हो गई है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उपलब्ध कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि दिनांक 22.08.2022 है, जबकि विज्ञापन के नियम 15(ड) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।" अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र की जारी किए जाने की तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
49.	8001003722	Ms. AKANSHA SINGH	MR.RAJPAL SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड औपबन्धिक पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी औपबन्धिक रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 25.02.2023 को पंजीकृत हुआ है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 19.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
50.	8001001486	Mr. NISHANT SAGAR	CHANDRA PAL SAGAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड औपबन्धिक पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी औपबन्धिक रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 07.12.2021 को पंजीकृत हुआ है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशीप दिनांक 15.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
51.	8001003734	Ms. SIMRAN MAHESHWARI	ASHOK KUMAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 25.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशीप दिनांक 12.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
52.	8001003885	Ms. MEENAKSHI ARYA	PRAKASH CHANDRA ARYA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
53.	8001001862	Mrs. INDU SAGAR	OM PRAKASH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आवेदन पत्र में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बि चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रमाण पत्र का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 07.04.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
54.	8001002860	Mr. AJAY KUMAR	RAJU LAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
55.	8001002053	Ms. SMIRITI	NEPAL SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 07.02.2023 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है।</p> <p>अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
56.	8001001687	Ms. DEEPIKA ARYA	MOHAN LAL ARYA	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 28.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशिप दिनांक 11.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है।</p> <p>अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
57.	8001000804	Mr. ABHILASH DWIVEDI	JAGAT NARAYAN DWIVEDI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किये गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2022 को जारी किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 20(क) के अनुसार शासनादेश संख्या- 23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 के बाद निर्गत किया गया है। अतः उक्त के अनुसार पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0 (आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
58.	8001003185	Mrs. NIKITA CHANDEL	RANJEET SINGH	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
59.	8001003888	Ms. VAISHALI RAWAT	YATENDRA SINGH	अभ्यर्थी पूर्व सैनिक श्रेणी में नहीं आती हैं तथा आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
60.	8001003998	Ms. DIVYA VERMA	CHIRANJI LAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
61.	8001000137	Ms. TANUSHRE E	MR JEEWAN LAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 17.02.2023 को पंजीकृत हुई है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- “अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।”, के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशीप दिनांक 08.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है।</p> <p>अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
62.	8001000634	Ms. ISHU KUMARI	SURESH KUMAR	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आवेदन पत्र में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बि चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में औपबन्धिक रूप से पंजीकरण करने का प्रमाण पत्र का उल्लेख तथा संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
63.	8001003705	Ms. MONIKA KUMARI	SHYAM LAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशीप दिनांक 22.02.2023 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है।</p> <p>अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
64.	8001001690	Mr. ROHIT KOHLI	JOGA RAM KOHLI	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक 28.02.2023 को पंजीकृत हुआ है, जबकि विज्ञापन के नियम 06- "अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।", के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05 अप्रैल 2022 तक स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी की इन्टर्नशीप दिनांक 11.12.2022 को पूर्ण की गई है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 05-1(ग) के अनुसार आवेदन करने की तिथि को राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की गई है।</p> <p>अतः पूर्व में जारी कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी का अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
65.	8001000995	Ms. MADHU	MUNSHI LAL	आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) पदकोड- 101 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	2	3	4	5	6
66.	8001001865	Mr. SAKET SINGH SAJWAN	DARSHAN SINGH SAJWAN	अभ्यर्थी पूर्व सैनिक नहीं है। आवेदन पत्र के साथ पूर्व सैनिक संबंध प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ बी०ए०एम०एस० डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
67.	8001001033	Mr. SANDEEP LOHIA	MR RAMESH PRASAD LOHIA	अभ्यर्थी पूर्व सैनिक नहीं है। आवेदन पत्र के साथ पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (यूनानी) पदकोड- 102 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्र०सं०	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1.	8002000016	Mr. ABHISHEK GUPTA	ANIL GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा बी०ए०एम०एस० डिग्री का उल्लेख किया गया है तथा अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र भी बी०ए०एम०एस० के सलग्न किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि, धारित नहीं की गई है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2.	8002000017	Mr. MOHD SUHAIL	MOHD SHARAFAT ALI	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन तथा सेवानियमावली के प्राविधान के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है तथा ना ही प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3.	8002000035	Ms. ANITA GHARAMI	VIMAL GHARAMI	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बी०एस०सी० नर्सिंग का उल्लेख किया गया है तथा अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र भी बी०एस०सी० नर्सिंग के सलग्न किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि, धारित नहीं की गई है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (यूनानी) पदकोड- 102 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्र०सं०	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
4.	8002000056	Mrs. POOJA VERMA	RAJAT VERMA	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बी०ए० तथा ए०एन०एम० का उल्लेख किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ बी०ए० की अंकतालिका एवं ए०एन०एम० की अंक तालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि, धारित नहीं की गई है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
5.	8002000088	Mr. AADISH RAJPUT	MR V.A.RAJPUT	अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। आवेदन पत्र के साथ औपबन्धिक निबन्धन प्रमाण पत्र (केवल इन्टरनेशिप प्रशिक्षण के लिए) संलग्न किया गया है तथा आवेदन पत्र में भी औपबन्धिक निबन्धन प्रमाण पत्र संख्या का उल्लेख किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
6.	8002000099	Mrs. ZEENAT	MOHD FURQUAN	अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व समाप्त हो गई है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रमाण पत्र दिनांक ०३.०७.२०१९ तक मान्य है।	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (यूनानी) पदकोड- 102 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्र०सं०	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
7.	8002000104	Mr. MOHAMMED SAMEER GOURI	MOHD ASLAM GOURI	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ बी०यू०एम०एस० की सभी अंकतालिका संलग्न नहीं की गई है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
8.	8002000114	Ms. AIMAN	ARIF JAMAL	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ बी०यू०एम०एस० की सभी अंकतालिका, इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र तथा डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा आवेदन पत्र में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति, उत्तर प्रदेश के पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का उल्लेख किया गया है।</p>	<p>कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०(आर्यु०यू०चिकि०)/०८/२०२०-२१/३४५ दिनांक ३१ मार्च २०२३ के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि ०९ अप्रैल २०२३ समय २३.५९.५९ बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>

चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) पदकोड- 103 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	8003000040	Ms. ANAMIKA RAGHUVANSHI	DHRUWA RAJ SINGH	<p>1. अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो, सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई पंजीकरण प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दि कर्नाटक आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी प्रैक्टीशनर बोर्ड में पंजीकरण का उल्लेख तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।</p>	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	8003000049	Mr. ASHWINI ROHILLA	SHRI RAM	<p>1. अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो, सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई पंजीकरण प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।</p>	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) पदकोड- 103 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्राप्त प्रत्यावेदन पर समिति का निर्णय
3	8003000072	Mr. RAKESH SAIN	JAI BHAGWAN	<p>1. अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो, सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई पंजीकरण प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।</p>	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
4	8003000074	Ms. SHIVANGI MITTAL	PARVEEN MITTAL	<p>1. अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो, सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई पंजीकरण प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।</p>	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) पदकोड- 103 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्राप्त प्रत्यावेदन पर समिति का निर्णय
5	8003000087	Mr. SUNIL SINGH YADAV	GUPTLAL YADAV	<p>1. अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो, सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया है ना ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई पंजीकरण प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।</p>	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

प्रबन्धक स्टेट फार्मसी पदकोड- 104 हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारीकरण

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	8004000101	Mrs. NEHA KAPKOTI	NARENDRA SINGH KAPKOTI	अभ्यर्थी प्रबन्धक स्टेट फार्मसी हेतु विज्ञापन एवं सेवानियामवली में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करती हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में डी0फार्मा0 का उल्लेख किया गया है तथा उत्तराखण्ड फार्मसी काउंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	8004000143	Mrs. KUMARI REECHA	KRISHNA MOHAN JHA	1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ बी0ए0एम0एस0 की सभी पठनीय अंकतालिका, डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय पत्रांक उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/345 दिनांक 31 मार्च 2023 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 09 अप्रैल 2023 समय 23.59.59 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के समर्थन में पुष्ट साक्ष्य एवं प्रत्यावेदन कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।